कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना पर जीएसटी

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

हाल ही में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs - CBIC) ने आदेश दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC) की भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा जारी **कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (Employee Stock Option Plan - ESOP)** पर कोई वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax - GST) नहीं लगाया जाएगा।

- GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर, CBIC ने आदेश दिया है कि कुछ शर्तों के अधीन, विदेशी फर्मों द्वारा जारी **ESOP**, **कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (Employee Stock Purchase Plan)**, **प्रतिबंधित स्टॉक इकाई (Restricted Stock Unit - RSU)** पर GST नहीं लगेगा।
  - **ESOP** एक कर्मचारी लाभ योजना है जो कर्मचारियों को कंपनी में शेयरों के रूप में स्वामित्व हित प्रदान करती है।
  - **ESPP** एक ऐसी योजना है, जिसमें कर्मचारी सीधे कंपनी के शेयर को **रियायती मूल्य** पर खरीद सकते हैं।
  - **RSU** एक ऐसी योजना है, जिसमें कर्मचारियों को भविष्य में **इक्विटी स्टॉक** से प्रोत्साहन मिलता है (केवल निहित अवधि के बाद)।
- इससे **गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और वॉलमार्ट** जैसी कंपनियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में तकनीकी कंपनियों और **अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों** को लाभ होगा, जिनके भारतीय कर्मचारी ESOP योजनाओं से लाभ उठा रहे थे।
- CBIC, जो वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, **सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)** के संग्रह और **लेवी** से संबंधित नीति तैयार करने के कार्यों से संबंधित है।

और पढ़ें: वस्तु एवं सेवा कर

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gst-on-employee-stock-option-plan-esop-